

कार्यालय नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री  
मोप्र० भोपाल

क्रमांक जी०बी०-५/(विविध)/२०२३-२४/ १६२

भोपाल, दिनांक ०५/०६/२०२४

ई-निविदा विज्ञप्ति

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल, के सम्पूर्ण भवन (मुख्यालय, मुद्रणालय परिसर एवं गार्डन, गैस राहत) की साफ-सफाई कार्य का अनुभव एवं पात्रता रखने वाले इच्छुक निविदाकारों से MPSEDC की बेवसाईट <http://www.mptender.gov.in> पर निविदा दिनांक 25/06/2024 दोपहर 1:00 बजे तक की-डेट्स अनुसार दरें आमंत्रित की जाती है।

2. आनलाईन निविदा, दिनांक 27/06/2024 को दोपहर 2:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/ उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष ऑनलाइन खोली जावेगी।
3. निविदा प्रपत्र एवं शर्तों को अवलोकन हेतु शासकीय मुद्रणालय की वेबसाईट [www.govtressmp.nic.in](http://www.govtressmp.nic.in) पर रखा गया है।
4. निविदा में किसी प्रकार की सूचना/संशोधन या सुधार की स्थिति में जानकारी MPSEDC विभाग की वेबसाईट <http://www.mptender.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

**Key Dates and Time**

1. ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय: 25/06/2024 दोपहर 1:00 PM
2. निविदा का तकनीकी भाग खुलने की तिथि व समय 27/06/2024 दोपहर 2:00 PM

  
नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री  
मोप्र० भोपाल

### निविदाकार को निम्नानुसार दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

01. जीवित श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की निविदाकार द्वारा सत्यापित प्रति।
02. पेन कार्ड, फर्म स्थापित होने का प्रमाण पत्र की निविदाकार द्वारा सत्यापित प्रति
03. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की निविदाकार द्वारा सत्यापित प्रति
04. संस्था संचालक का पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र।
05. क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।
06. कर्मचारी राज्य बीमा का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।
07. निविदाकार फर्म द्वारा राज्य/ केन्द्र शासन में साफ-सफाई कार्य के अनुभव स्वरूप दो कायदिश।
08. सी.ए. द्वारा प्रमाणित तीन वर्षों का टर्न ओवर।
09. निविदा की शर्तों पर सहमति स्वरूप पद्रमुद्रा एवं हस्ताक्षर।
10. निविदाकर्ता फर्म को यह शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह राज्य/ केन्द्र शासन के किसी कार्यालय में प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेट/ नहीं है।
11. संस्था /सुपरवाईजर के पास सेनेट्री का डिप्लोमा होना आवश्यक है ताकि वह समय समय पर कार्य का निरीक्षण कर सके। निविदाकर्ता को इस संबंध में प्रमाण पत्र /घोषणापत्र निविदा के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। प्रमाण पत्र /घोषणा पत्र के अभाव में निविदा स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

### **साफ-सफाई कार्य का विवरण**

क्र	मुद्रणालय का नाम	सफाई का परिसर	कर्मचारियों की संख्या
1.	मुख्यालय /शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मैदा मिल रोड. भोपाल म0प्र0/गैस पीडित महिला स्टेशनरी ईकाई हमीदिया रोड भोपाल	मुख्यालय/मुद्रणालय के कार्यालय, सम्पूर्ण भवन के साथ समस्त कक्ष पूर्ण परिसर. खुला परिसर, समस्त शौचालय एवं गैस पीडित महिला स्टेशनरी इकाई भवन की साफ-सफाई, बगीचे का रख-रखाव एवं साफ सफाई।	12 कर्मचारी

1. निविदा प्रपत्र रूपये 5,000/- एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन MPSEDC पोर्टल जमा किया जाना है।
2. EMD राशि रूपये 30,000/- आनलाइन MPSEDC पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाना है।
3. मुद्रणालयों में स्थापित छपाई कटिंग मशीनों पर दिन भर रद्दी कतरन निकलती रहती है, जिसे प्रति दिवस उठाकर रद्दी गोदाम में व्यवस्थित जमा करना होगा एवं दोनों पालियों में साफ-सफाई कार्य करना होगा।
4. शासकीय अवकाश /निर्वाचन अवधि/बजट मुद्रण कार्य व अन्य दिवस में मुद्रणालय खुला रहता है तो उस दिवस की सफाई व्यवस्था करनी होगी जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
5. मुख्यालय, मुद्रणालय तथा कार्यालय के फर्शों तथा गैलरियों पर सुगंधित एवं कीट नाशक फिनायल से सप्ताह में दो दिन पौछा लगाना अनिवार्य होगा।
6. मुख्यालय एवं मुद्रणालय/ कार्यालय की दीवारों एवं छतों में नियमित रूप से धूल एवं जालें साफ करना होगे, गोदामों में रखे कागज के बंडलों एवं अन्य सामान से नियमित धूल साफ करनी होगी।
7. मुख्यालय एवं मुद्रणालय/कार्यालय के समस्त शौचालय प्रसाधनों की नियमित हारपिक से धुलाई ड्रेनेज चेम्बर्स में कीटनाशक दवाई डालनें की व्यवस्था ठेकेदार व्दारा की जावेगी तथा इसकी टूट-फूट होने की स्थिति में उसका पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा।
8. सफाई कार्य के लिये उपयोग होने वाली "समस्त प्रकार की सामग्री जैसे झाड़, पौछा, सुगंधित कीटनाशक फिनाईल/गोली/ एवं अन्य प्रकार की गुणवत्ता युक्त सफाई सामग्री" निविदाकर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी, जिसका पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगी।
9. कर्मचारियों से शिकायत प्राप्त होने अथवा निरीक्षण के दौरान यदि सफाई कार्य में कमी प्रदर्शित होती है तो निविदाकर्ता फर्म पर 1000/-प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित की जावेगी जिसका कटोत्रा फर्म को किये जाने वाले भुगतान से किया जावेगा।
10. मुख्यालय, मुद्रणालय तथा कार्यालय की सफाई का कार्य दैनिक रूप से प्रातः 9:30 बजे के पूर्व अनिवार्यतः पूर्ण करना होगा।
11. बगीचे की नियमित सफाई, पेड़ पौधों को पानी देना, अनावश्यक खरपतवार की कटाई छटाई का कार्य समय कक्ष के निर्देशानुसार करना होगा। बगीचे की देखरेख हेतु यदि किसी प्रकार की औजार एवं संसाधन की आवश्यकता होती है तो उसका प्रबंध अनुबंधित फर्म व्दारा किया जावेगा।

12. शासन द्वारा समय- समय पर जारी प्रतिबन्धों, बजट की अनुपलब्धता आदि के कारण यदि भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होता है, तो निविदाकर्ता फर्म को किसी प्रकार के ब्याज देय नहीं होगा।
13. कर्मचारियों की संख्या में 25% तक की कमी या वृद्धि कार्यालय द्वारा की जा सकती है।
14. निविदाकर्ता फर्म दर देने से पूर्व मुद्रणालय परिसर का स्थल निरीक्षण कर सकेगे।
15. सफल निविदाकार को अनुबंध के साथ प्रतिभूति के रूप में वार्षिक ठेके की राशि का 10 प्रतिशत राशि अथवा राशि रूपये 2 लाख का FDR 24 माह की अवधि हेतु नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री म०प्र०० भोपाल के पक्ष में तैयार कर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
16. साफ- सफाई कार्य का विवरण के पैरा-एक में उल्लेखित कार्य अकुशल श्रमिक से करवाना होगा। यदि किसी दिन निधारित से कम कामगार लगाये जाते हैं, तो उक्त दिवस की अनुपस्थिति का वेतन काटकर ही भुगतान किया जावेगा। सफाई कामगारों को मुद्रणालय द्वारा विशेष पास जारी किये जावेंगे तथा पास गेट- कीपर को दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जावेगी।
17. निविदाकर्ता फर्म को साफ-सफाई कार्य में लगाये गये कर्मचारियों को अकुशल श्रमिक को देय वेतन का भुगतान करने का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। जिस दिन मुद्रणालयों में कार्य होगा, उस दिवस की सफाई व्यवस्था भी करनी होगी जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
18. निविदाकर्ता फर्म को कार्य पर नियोजित किये गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अंतर्गत ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई. की राशि स्वयं जमा करना होगी तथा त्रैमासिक ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. मद में जमा की गई राशि का कर्मचारियों के नाम सहित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में मासिक देयकों का भुगतान रोक दिया जावेगा।
19. यदि कार्य के दौरान किसी भी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता फर्म का होगा।
20. अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा मुद्रणालयों में लगाये जाने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

21. कर्मचारियों को वर्द्दा में कार्य पर उपस्थित होना होगा। वर्द्दा की व्यवस्था अनुबंधकर्ता फर्म को करना होगा।
22. यदि अनुबंधकर्ता फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो कार्य में सुधार करने के लिये अनुबंधकर्ता फर्म को नोटिस दिया जावेगा, परन्तु यदि फिर भी कार्य संतोषजनक अथवा शर्तों के अनुरूप नहीं होता है, तो तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
23. यदि अनुबंधकर्ता फर्म निविदा में अकिंत संख्या से कम कर्मचारी लगाकर कार्य करवाता है, तो उसी अनुपात में उसके देयक से कम अनुपस्थित कर्मचारी की राशि का कटौत्रा किया जाकर ही भुगतान किया जावेगा।
24. अनुबंध 2024-25 एवं 2025-26 की अवधि अनुबंध दिनांक से 24 माह के लिये किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थियों में दोनों पक्ष की सहमति उपरांत अनुबंध अवधि आगामी एक वर्ष तक का समय बढ़ाया जा सकेगा।
25. किसी भी निविदा को मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार नियंत्रक महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।
26. विवाद की स्थिति में नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री म0प्र0 भोपाल का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों का बंधनकारी होगा।
27. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

  
नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री  
म0प्र0 भोपाल

## निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदाकर्ता (सेवाप्रदाता) द्वारा नियोजित व्यक्तियों को श्रम आयुक्त म.प्र. द्वारा अनुबंध दिनांक पर लागू निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं सभी भत्ते/प्रभार (निर्धारित कानूनों/नियमों के अनुसार) का मासिक भुगतान किया जायेगा।
2. सफल निविदाकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को केवल कर्मचारियों के बैंक खातों में ही भुगतान किया जायेगा। नगद भुगतान मान्य नहीं किया जायेगा।
3. निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ न किए जाने अथवा सक्षम प्राधिकारी की दृष्टि में संतोषजनक कार्य निष्पादन न होने की स्थिति में अनुबंध तत्काल निरस्त किया जायेगा। निविदाकर्ता की ओर से कार्य में त्रुटि पाये जाने पर एवं तदाशय से अवगत कराये जाने पर भी कार्य में सुधार न किये जाने की स्थिति में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा तथा FDR राजसात कर अनुबंध निरस्त भी किया जा सकेगा। निविदाकर्ता को किसी क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। अर्थदण्ड की राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी तथा निविदाकर्ता को देय राशि से समायोजित भी की जा सकेगी।
4. निविदाकर्ता को अपने द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों में कोई बदलाव सक्षम प्राधिकारी की सूचना में लाये बगैर व अनुमति लिए बगैर नहीं किया जायेगा। यदि निविदाकर्ता द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा समुचित ढग से कार्य निष्पादित नहीं किया जाता है तो विभाग के निर्देश पर निविदाकर्ता को तुरन्त उसे प्रतिस्थापित कर अन्य को नियुक्त करना होगा। इस कार्य में विलंब के लिए प्रतिदिन 100 रुपये के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा जो निविदाकर्ता को देय राशि में से समायोजन योग्य होगा।
5. अनुबंध की अवधि में नियमानुसार टी.डी.एस./ जी.एस.टी.. टी.डी.एस. की राशि का विभाग द्वारा कटौत्रा किया जा सकेगा।
6. सफल निविदाकार द्वारा नियोजित कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन एवं मेडिकल अनिवार्यतः कराया जाकर उसकी एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
7. समस्त बाथरूम दिन में कम-से-कम तीन बार साफ करने होगे। कहीं से कोई भी दुर्गंध न आने पाये यह सुनिश्चित करना होगा। सफाई कार्य में झाड़ू लगाने के पश्चात् फिनाईल/फर्श क्लीनर से पोछा लगाना, टॉयलेट्स की धुलाई, एसिड द्वारा सफाई, टॉयलेट पॉट में फिनाईल की गोलियां प्रतिदिन डालना अनिवार्य होगा। कार्यालय के प्रत्येक टॉयलेट के फर्श की सफाई तथा उसे सूखा बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।

8. कार्यालय के कुछ कक्षों में सोफे रखे हैं। इसकी विधिवत् बेक्यूम वलीनर से साफ-सफाई भी की जाना होगी। कक्षों में टेबल, चेयर, रैक्स, अल्मारियों आदि की साफ-सफाई करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कक्ष की दीवारों, खिड़कियों तथा उसके कांच दरवाजों आदि की भी साफ-सफाई अनिवार्यतः की जाना होगी। माह में कम-से-कम एक बार, अवकाश के दिनों में बाहर के कांच की साफ-सफाई की जायेगी।
9. चोक सीवेज लाईन/टॉयलेट्स की साफ-सफाई आवश्यकतानुसार करना होगी। चोक होने पर आवश्यक साफ-सफाई का कार्य निविदाकार द्वारा किया जावेगा।
10. निविदाकर्ता कार्यालय भवन का अवलोकन कर कक्षों, टॉयलेट, कॉमन स्पेस आदि की यथा तथ्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
11. अनुबंध अवधि में निविदाकर्ता को नियमानुसार सर्विस टैक्स जमा कर तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. निविदाकार अपने द्वारा नियोजित कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कर्मचारियों के अनुशासन एवं कार्य गुणवत्ता हेतु पूर्णतः जवाबदेह होगा। निविदाकार कार्यालय के समस्त कर्मचारियों, आगंतुकों और कार्यरत मानव संसाधन की सुरक्षा हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
13. सक्षम प्राधिकारी, निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन की उपस्थिति, कार्यकुशलता, दस्तावेजों का निरीक्षण आकस्मिक रूप से बिना किसी सूचना के कर सकेगा। इस आकस्मिक निरीक्षण की अवलोकन रिपोर्ट को निविदाकार को मौखिक अथवा लिखित में सुधार हेतु अवगत कराया जायेगा। निविदाकार सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल करेगा।
14. यदि निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन की लापरवाही से कार्यालय में कोई हानि या तोड़फोड़, चोरी की घटना होती है तो निविदाकार उसके लिये पूर्णतः जवाबदेह होगा और उस नुकसान की भरपाई के लिये जवाबदेह होगा।
15. निविदाकार अपने आउटसोर्स कर्मचारी हेतु एक पृथक बैंक खाता एवं आवश्यकतानुसार ई.पी.एफ. खाता खोलेगा और ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं अन्य अनिवार्य राशियों को नियमानुसार भुगतान कर देयक के साथ प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त देयताओं को एक पृथक चालान के माध्यम से जमा कार्यालय में प्रस्तुत करेगा जिसका नियोजित मानव संसाधनों की सूची से मिलान किया जा सकें। इस शर्त का पालन नहीं किया जाना अनुबंध के निरस्तीकरण और परफॉर्मेन्स सिक्यूरिटी को राजसात करने हेतु पर्याप्त आधार होगा। निविदाकार ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. के रिटर्न की प्रति निर्धारित समयावधि में कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

16. श्रम कानूनों का पालन:- आउटसोर्स एजेंसी स्वयं के व्यय पर श्रम कानूनों, अन्य संबंधित आदेशों, अधिसूचनाओं जो समय-समय पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई हो, पालन कराने के लिए जबाबदेय एवं बाध्य होगा।
17. निविदाकार प्रोविडेंट फण्ड एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित और अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नियोजित कर्मचारियों को नहीं किया जायेगा।
18. यदि आउटसोर्स एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों के द्वासा कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है अथवा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है अथवा वह किसी गंभीर संक्रामक बीमारी से ग्रस्त होता है तो एजेंसी तत्काल उसके स्थान पर अन्य कर्मचारी को नियुक्त करेगी।
19. मध्यप्रदेश वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-11-1/2023/नियम/चार दिनांक 31-03-2023 के अनुसार प्रबन्धकीय शुल्क देय होगा।

नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
म0प्र0भोपाल

## (निविदाकार की घोषणा)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य हैं। मैंने निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं जो मुझे स्वीकार हैं, तदनुसार उपरोक्त नियम एवं शर्तों पर कार्य करने के लिये मैं सहमत हूँ।

दिनांक .....

पता .....

दूसराष / मोबाइल क्रमांक .....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर नाम,

पदनाम व सील